न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 340/16 बउनवानी ~~फत्तू~~ पुत्र घनसी कीर बनाम तहसीलदार सवाईमाधोपुर
निवासी ग्राम धीरोली तहसील. सवाईमाधोपुर
उप0–1. श्री मुकेश बंसल, वकील अपीलान्ट 2. श्री छोटू सिंह गुर्जर पैरोकार राजस्व

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न.ता. अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुआ
12.11.2016	अपीलान्ट द्वारा जल्द सुनवायी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत मे करने बाबत निवेदन किये जाने पर प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सुलह समझोते की भावना से निस्तारण हेतु यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार राजस्व उपस्थित है। सुलह समझौते के तहत दौराने सुनवायी वकील अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 498/2015 में ग्राम धीरोली की आराजी संख्या 179 रकबा 0.51 है0 किस्म चरागाह भूमि में सम्वत 2072 खरीफ में की फसल काश्त करना अंकित करते हुये अतिकमणी माना है एवं दिनांक 14.10.2015 को आदेश जैर अपील पारित कर 90 दिवस की सिविल कारावास से सजा से दण्डित किया है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा विवादित अतिकमित भूमि पर से अपना अतिकमण हटा लेने एवं भविष्य में पुनः अतिकमण नही करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है, साथ ही आदेश जैर अपील के तहत अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत भी निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया हे कि यद्यपि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अतिकमण हटा लेने व पुनः अतिकमण नही करने के आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत कर दी है, किन्तु सिविल कारावास की सजा माफ करने से पूर्व कब्जा हटा लेने बाबत भौतिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सिविल कारावास की सजा को सशर्त स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी और से अनापत्ती प्रस्तुत की गयी। उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता है कि पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तर्क विधि अनुरूप है, अतः अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक स्वीकार की जाती है कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर मौके पर जॉच कर यह सुनिश्चित करें कि यदि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अपना अतिकमण हटा लिया हो तो आदेश जैर अपील द्वारा अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ समझी जावे एंव यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अतिकमण वर्तमान में भी पाया जाता है तो आदेश जैर अपील यथावत रहेगा। पत्रावली आज दिनांक 12.11.2016 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे । आज्ञा सुनायी गयी । (के.सी.वर्मा) जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर	